

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,  
प्रमुख सचिव एवं साक्षता आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे०

जिलाधिकारी,  
लखीमपुर खीरी।  
राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक १९ अप्रैल, २०११

विषय : वित्तीय वर्ष २०११-१२ मे० दैवीय आपदा मद मे० घनावटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको पत्र संख्या-१३/राहत-अग्निकाण्ड-घनराशि/११-१२/आठराठलि०, दिनांक १३ अप्रैल २०११ के संदर्भ मे० मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०११-१२ मे० दैवीय आपदा मद मे० तत्काल अहेतुक सहायता वितरण हतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल घनराशि रु० २५,००,०००/- (रूपये पच्चीस लाख मात्र) आपके निवास पर रखने की श्री शज्जप्राल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के कलान्वरूप होने वाला व्यापक चान्त्र वित्तीय वर्ष २०११-१२ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ वे अन्तर्गत लेखाशीर्षक २२४५-प्राकृतिक विषयक के कारण राहत-आयोजनतार-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-आपदा राहत निधि त्रया-४२-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

३. इस घनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हतु कदापि न किया जाय। अयोत्तर वह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की घनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूखलन, बादल फटने, हिम स्थलन, चकदात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आकरण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस घनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

४. उक्त घनराशि का व्यय शासनादेश दिनांक ३१ जुलाई २००७ के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स मे० निर्धारित एवं अह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों मे० राहत अनुमत्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। सभी घनराशि का वितरण एकार्ण पेंडी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

५. वर्ष २०११-१२ मे० दैवीय आपदा मद मे० वितरण ३१ मार्च, २०१२ तक कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपर्योग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की घनराशि का व्यय सहम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

६. उक्त स्वीकृत घनराशि केवल वित्तीय वर्ष २०११-१२ मे० दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्याप्र की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

7. राहत की घनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रखीद पर स्थानीय लेखपात्र एवं ग्राम प्रजान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अग्निलेख में रखा जाये। विलरित सहायता की सूची ग्राम रखा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत घनराशि का यिला दस्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मारिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनीक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्राप्त पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दिनीक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फॉड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवटित घनराशि में से यदि बचते समाप्त हो तो उन्हें दिनीक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को रामपित कर दिया जाय।

9. उक्त घनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369, एच के अधीन मिर्परित प्राप्त संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की घनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्ताकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े सामाधानित एवं संत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीप  
१२-०८-२०११  
(आयुक्त सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या : ११६२/१-१०-२०११-३३(१०२)/२०११, तद्दिनीक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रीपित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/ अफिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निवेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-6/ 11।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)  
सचिव